

हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

22.10.2019

आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थी सं01 को आगामी आदेश तक जयें एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 19.11.2019 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 0.20 हैक्ट0 वाके ग्राम औदाका तहसील रामगढ़ जिला अलवर पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें। बशर्ते प्रार्थीगण रजिस्टर्ड ए0डी0 से दिनांक 19.11.2019 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हों। पत्रावली दिनांक 19.11.2019 को पेश हो।

उप सखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

19/11/19
किस प्रणाली पेश हुई
किसी वकील उम्मीदगारों के द्वारा
के किस प्रणाली के द्वारा जज
मूलवाद Not Press में रजिस्ट्रार
वकील जिला रामगढ़/अलवर
Not Press में रजिस्ट्रार रामगढ़
है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RTA की
Not Press में रजिस्ट्रार जिला
रामगढ़ में प्रणाली प्रणाली
होकर है। किस प्रणाली

Note Press
19-11-19

आसम

Signature

उप सखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)